भारत के उप -राष्ट्रपति का सचिवालय
SECRETARIAT OF THE VICE- PRESIDENT OF INDIA
नई दिल्ली -110011 (भारत)
NEW DELHI – 110011 (INDIA
TEL.: 011-23094953

फाइल संख्या वीपीएस-55/1-आरटीआई/04/2025-2026 **27 मई, 2025**

सेवा में,

श्री सचिन कुमार
पुत्र मामचन्द निवासी ग्राम
मंवीकला पोस्ट काठा
थाना व जनपद बागपत-250609

विषयः- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु।

महोदय,

कृपया उक्त विषय में आपका दिनांक 02.05.2025 का आर टी आई आवेदन पत्र इस सचिवालय में 05.05.2025 को प्राप्त हुआ है, दस रूपये का पो॰आ॰सं॰ 66 एफ़ 348450 संलग्न कर सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध करने हेतु निवेदन किया है।

इस विषय में आपको अवगत करना है कि आपके दारा मांगी गई सूचना का विषय इस सचिवालय से संबन्धित नहीं है। इस कारण यह सचिवालय आपको किसी भी प्रकार की जानकारी/सूचना दे पाने में असमर्थ है।

अतः आपको परामर्श है कि आप इस विषय में सीधे संबन्धित राज्य/मंत्रालय/विभाग से संपर्क करें।

(सरिता चौहान)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

RTI - NO - 04
66F - 348450

सेवा मैं
श्री मान उपराष्ट्रपति महोदय
भारत सरकार नई दिल्ली-110001

विषय :- 2005 के अन्तर्गत सुचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र

महोदय, निवेदन है कि प्रार्थी सचिन कुमार ने दिनांक 24/3/2025 स्पीड पोस्ट / डायरी न० बाई हेन्ड जमा है सभी न्यायालयो अर्थात कोर्ट जैसे कड़कड़डुमा कोर्ट दिल्ली, सम्भल कोर्ट उत्तर प्रदेश व बागपत उ०प्र० मे प्रार्थी की मुकदमे की सुनवाई के दिन पुलिस सुरक्षा हेतु क्या कार्यवाही की है। तथा प्रार्थी ने चार बिन्दु अर्थात चार पाइन्ट उपरोक्त न्यायालय के सम्बन्ध मे कार्यवाही हेतु आपने क्या आदेशित किया प्रार्थी को तत्काल 2005 के अन्तर्गत सुचना देने की कृपा करे क्योंकी यह प्रार्थी के जीवन व मृत्यु का सवाल है तथा प्रार्थी की दो छोटी बेटीयो के जीवन का सवाल है आपकी अति कृपा होगी क्या कार्यवाही हुई

Date - 2/5/2025
प्रार्थना पत्र सलंग्न है।
पोस्टल आर्डर न० 66F 348450

Vice President's Secretariat, New Delhi
Dy. No. 917
Date 5/5/25

(signature)
प्रार्थी

SACHIN KUMAR S/O MAMCHAND
Vill-MAVI KALAN, POST-KATHA
Disst-BAGHPAT (U.P.) 250101
MOB - 9568665853

File

(2)

Email- vpindia[at]nic[dot]in

सेवा में, श्रीमान उपराष्ट्रपति महोदय
नई दिल्ली

Received Dak
Date 24/3/25
Vice-President's Secretariat
New Delhi - 110011

विषय— बागपत कोर्ट, कडकडडूमा कोर्ट व सम्भल कोर्ट में प्रार्थी के द्वारा दिये गये सभी प्रार्थना पत्र पर सुनवाई नही होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि तीनो कोर्ट की जजो और विपक्षी के वकील ने एकजुटता कर ली है। प्रार्थी आज उपरोक्त के कारण मानसिक तनाव व कई गम्भीर बिमारियों (पाईल्स, अल्सर) में जी रहा है। प्रार्थी कभी भी आत्महत्या कर सकता है जिसके जिम्मेदार उपरोक्त होगे। व लोवर कोर्ट में बहुत हेरा फेरी होती है। इसलिए सी0सी0टी0वी0 फुटैज के समक्ष सुनवाई की जाये। इसीलिए प्रार्थी आप श्रीमान जी से मिलना चाहता है। प्रार्थी को मिलने हेतु समय दिया जाये। प्रार्थी को उपरोक्त सभी कोर्ट में सभी तारीखों पर पुलिस सुरक्षा चाहिये।

श्रीमान जी,

1. यह कि फैमिली कोर्ट कडकडडूमा, दिल्ली के जज साहब रिया गुहा वाद संख्या— एमटी 240 / 2021 अं0 धारा 125 सीआर0पी0सी0 रजनी बनाम सचिन कुमार का मुकदमा विचाराधीन है। जिसमें दिनांक 19.03.2025 को सुनवाई थी। प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जिसका ऑनलाईन नं0 एडीएल20230014909डी202500224 है। यह प्रार्थना पत्र सैक्शन 9 की डिक्री व तलाक दावे की प्रतियां सहित दिया गया था। लेकिन उपरोक्त न्यायालय मे इस प्रार्थना पत्र पर कोई सुनवाई नही की थी। तथा प्रार्थी के केस की सुनवाई सबसे आखिर में की गयी ताकि कोर्ट के अन्दर कोई दूसरा वकील सुन न सके। इसलिए श्रीमान जी से प्रार्थना है कि नियत तिथि 7 मई 2025 को उपरोक्त प्रार्थना पत्र को सुना जाये ऑर्डर शीट पर विपक्षी रजनी के ब्यान दर्ज किये जावे। आपकी अति कृपा होगी। तथा प्रार्थी को वकील के अलावा प्रार्थी को भी कोर्ट के समक्ष बोलने का अवसर दिया जावे।
2. यह कि प्रार्थी ने कडकडडूमा कोर्ट दिल्ली फैमिली कोर्ट जज साहब रिया गुहा के समक्ष वाद संख्या एमटी 240 / 2021 में एक प्रार्थना पत्र जिसका ऑनलाईन नं0— एडीएल 20240004340डी20250032 है। यह प्रार्थना पत्र अपनी दोनो बेटियों से मिलने हेतु उपरोक्त न्यायालय में दिया गया था। जिसकी सुनवाई 19.03.2025 को थी। जज साहब रिया गुहा ने प्रार्थी से कहा कि खर्चे के मुकदमें में बेटियों से मिलने हेतु कोई प्रार्थना पत्र नही लगाया जाता। ऐसा कोई प्रावधान नही है। जबकि दूसरे अन्य व्यक्तियो द्वारा लगाये गये प्रार्थना पत्र खर्चे के मुकदमें में बेटियो से मिलने का अधिकार मिल रहा है। प्रार्थी का शोषण किया जा रहा है तथा प्रार्थी के साथ पक्षपात किया जा रहा है। प्रार्थी को मानसिक रूप से और ज्यादा बीमार किया जा रहा है। जबकि प्रार्थी अपनी दोनो पुत्रियों का खर्चा भी दे रहा है। इसलिए प्रार्थना है कि प्रार्थी को अपनी दोनों बेटियों से मिलने का अधिकार दिया जावे। तथा प्रार्थी को भी कोर्ट के समक्ष बोलने का अवसर दिया जावे।
3. यह कि प्रार्थी का एक मुकदमा जिसका वाद संख्या— 406 / 2024 सचिन कुमार बनाम रजनी विवाह विच्छेद याचिका प्रधान न्यायधीश परिवार न्यायालय बागपत उ0प्र0 में विचाराधीन है। उपरोक्त मुकदमें मे विपक्षीगण

रजनी व रजनी के अधिवक्ता दोनो मिलकर कानून का उल्लंघन कर रहे है। जिसका कारण यह है कि प्रार्थी की पत्नी रजनी उपरोक्त मुकदमे में उपस्थित नही हुई है। और ना ही आज तक ऑर्डर शीट पर विपक्षी रजनी के हस्ताक्षर हुए है। विपक्षी रजनी के अधिवक्ता ने रजनी के फर्जी हस्ताक्षर वकालत नामें पर करके मान्य न्यायालय में दिनांक 16.12.2024 को प्रस्तुत किया था। इस सम्बंध में प्रार्थी ने मान्य न्यायालय जिला सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला बार एसोशिएशन बागपत उ0 प्र0 को अनेको प्रार्थना पत्र दिये। लेकिन आज तक कोई जांच व उच्च स्तरीय कार्यवाही सुनवाई नही हुई। प्रार्थी का समय बर्बाद किया जा रहा है। प्रार्थी को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडना दी जा रही है। इस सम्बंध में उच्च स्तरीय जांच कराने की कृपा करे। और विपक्षी व विपक्षी के अधिवक्ता के विरूद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। आपकी अति कृपा होगी।

4. यह कि प्रार्थी का एक मुकदमा जिसका वाद संख्या– 452/2019 सरकार बनाम अशवनी कुमार आदि अं0 धारा– 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 में न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय कोर्ट नं0 1 सम्भल उ0प्र0 में विचाराधीन है। इस मुकदमें में दिनांक 05.12.2024 को दोनो पक्षो का समझौता हो चुका है। उपरोक्त मुकदमें को समाप्त करने हेतु लेकिन हमारी सुनवाई की तिथि पर जज साहब अवकाश पर रहते है और हमारा मुकदमा पैण्डिंग/लम्बित किया जा रहा है। यहां पर भी महिला जज साहब है। प्रार्थी के तीनो मुकदमें मे महिला जज साहब ही बैठती है। इस सम्बंध में प्रार्थी ने कानून मन्त्रालय नई दिल्ली में एक प्रार्थना पत्र दिया था जिसका एक नं0– एलए–36/27/2025–पीजी सैल है। जिसमें कानून मन्त्रालय ने निर्देशित किया है कि Matter related to stop the proceeding as compromise has already been made. जिसका लैटर साथ में संलग्न है। तथा प्रार्थी ने दिनांक 24.02.2025 को दोनो पक्षो के समझौतेनामें प्रार्थना पत्र पर उपरोक्त न्यायालय में अपने अधिवक्ता के द्वारा जमा कराये थे। श्रीमान जी से प्रार्थना है कि दिनांक 05.12.2024 को दोनो पक्षो के समझौते के अनुसार उपरोक्त मुकदमें को समाप्त कराने की कृपा करे। प्रार्थी अनेको प्रार्थना पत्र दे चुका है। लेकिन कोई कार्यवाही नही हुई। आपकी अति कृपा होगी।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त लिखित चारों कॉलम (पोईन्ट) का अध्ययन करते हुए शीघ्र अति शीघ्र सम्बन्धित न्यायालय को अग्रिम कार्यवाही करने के आदेश पारित करने की कृपा करे। ताकि प्रार्थी का जीवन समाप्त होने से पहले न्याय मिल सके। आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक– 24/3/2025

प्रार्थी (एक्स सी0आर0पी0एफ0)

सचिन कुमार पुत्र मामचन्द निवासी ग्राम मंवीकलां, पोस्ट काठा, थाना व जनपद बागपत। पिन– 250609

मो0– 9568665853